

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10/2019

उनवान

1 रामावतार पिता रामकिशन कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा वादी

बनाम

1 गोविन्द पिता रामकिशन कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा

2 मु.प्रेमदेवी पत्नि रामकिशन कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा

3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भील0

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा
श्री हितेश शर्मा..... वकील वादी
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक- 26.10.2021

वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगरिया हल्का पटवारी क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 192 के आराजी संख्या 233, 234, 237, 239, 242, 243, 264 किता 7 कुल रकबा 1.29 हैक्टे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम दशरथ पिता रामकिशन कुमावत नाबा. सा.देह के स्थान पर रामावतार पिता रामकिशन कुमावत सा. देह खातेदार दुरस्त किये जाने आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा
फुलियाकलां (राज.)